

फर्द अहकाम

(नियम 13)

87

2020/00090
08/02/2021

अज अदालत तहसीलदार / नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम

श्री फौजाराज

हलका भूक वडावलि

पुत्र श्री धुका राज जाति केवला

निवासी भूक वडावलि

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं. 87/वर्ष 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुकम और तारीख तामिल की
23-12-2020	पटवारी हलका भूक वडावलि ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2020 में मौजा भूक वडावलि के खसरा नंबर 27/3 रकबा 2000 वर्ग फीट किस्म भूमि गैर मु. पर नाजायज अतिक्रमण कर काश्त व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 11-01-2021 को बमुकाम सिणधरी में पेश हों।	
11-01-2021	तहसीलदार सिणधरी जिला-वाड़नेर	फौजाराज
18/01/2021	पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। पीगलीन अधिकारी शकिय कार्य हेतु गैरसायल पत्रावली दिनांक 18-01-2021 को पेश है।	फौजाराज
	पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। गैर सायल ने जवाब हेतु समय चाहु जो दिया जाकर पत्रावली दिनांक 27/01/2021 को पेश है।	
	तहसीलदार सिणधरी जिला-वाड़नेर	

27-01-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल की तरफ से उनके वकील ने उपायित होकर जवाब हेतु सायल चाहा जो दिनांक 10-2-2021 को पत्रावली दिनांक 10-2-2021 को पेश है।

बहसीलदार सिणधरी
जिला-वाड़मेर

10-2-2021

पत्रावली पेश हुई। पीठालीन अधिकारी को अग्रणी पर सिविल पत्रावली दिनांक 17-2-2021 को पेश है।
10-2-2021

17-2-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। गैर सायल को जवाब हेतु अन्तिम अवसर दिनांक 22-2-2021 को पत्रावली दिनांक 22-2-2021 को पेश है।

बहसीलदार सिणधरी
जिला-वाड़मेर

22-02-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। गैर सायल को बार-बार जवाब हेतु अपील किये जाने के उपरान्त भी कोई विधि सम्पन्न साध्य प्रस्तुत नहीं किये गैर सायल को अति उम्मी मानते हुए पत्रावली फैसल सुमार हो। निर्णय अलग से लिया जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर है।

बहसीलदार सिणधरी
जिला-वाड़मेर